संख्या–2120/9–आ–3–2002–33काम्प/98टी0सी0

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,

सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक–28 नवम्बर, 2002

विषय : भवन निर्माण मानचित्र पर लिए जाने वाले अम्बार फीस की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–175/9–आ–3–98–33काम्प/98दिनांक 05.02.98 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–548/9–आ–3–98–33 काम्प/ 98 दिनांक 07 मार्च, 98 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा उक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था के संदर्भ में कुछ जिज्ञासायें/स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05.2.98 एवं दिनांक 07.3.98 के संदर्भ में उठाये गये बिन्दुओं पर स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है :–

(1) भवन निर्माण मानचित्र पर लिए जाने वाले अम्बार शुल्क उस एजेन्सी को हस्तांतरित की जाए, जिसका मार्ग/स्थल उस अम्बार से प्रभावित हो रहा हो एवं उस मार्ग/स्थल का रख–रखाव उसी एजेन्सी द्वारा किया जाता रहा हो।

(2) उक्त शासनादेश में भवन निर्माण मानचित्र हेतु अम्बार शुल्क के निर्धारण के सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि यह व्यवस्था सभी प्रकार के भवनों पर समान रूप से लागू है।

उपर्युक्त शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या :– 2120 / 9–आ–3–2002–33काम्प / 98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उनके पत्र संख्या–डी.जी. एम. / 2002 / च्तवर / पी0एल0जी0 / टी0एफ0सी0 / 338 दिनांक 25.5.2002 के संदर्भ में।

3. आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश / गार्ड फाइल।

4. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण को उनके पत्र संख्या–316 / वि0प्रा0 / प्र0अभि0 (भवन) 2001–2002 दिनांक 04 जनवरी, 2002 के संदर्भ में।

आज्ञा से,

संजीव कुमार
विशेष सचिव।